(ख) भुगतान की कुल राशि 108,748,87 रु० है। किसी प्रकार का अधिक भुगतान नहीं हुआ है।

मैसर्स गोल्चा प्रापर्टीज (प्राईवेट) लिमिटेड

4812. **श्री राम स्वरूप विद्यार्थी**: क्या **समवाय कार्य** मंत्री मैसर्स गोलचा प्रापर्टीज (प्राइवेट) लिमिटेड के बारे में 10 मार्च 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2207 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी परिसमापक द्वारा अर्जित 20 लाख रुपये की कुल वार्षिक आय में से केन्द्रीय सरकार को कितना धन कमीशन के रूप में मिला है ;

(ख) कम्पनी की कुल आय कितनी है और केन्द्रीय करों तथा अन्य स्थानीय करों के रूप में उस पर कितना धन दिया गया है;

(ग) क्या सरकार का विचार संबंधित उच्च न्यायालय से परिसमापन द्वारा भुगतान शीघ्रता से कराने के लिए कहने का है; यदि हां, तो कब; और

(घ) गोल्चा प्रापर्टीज (प्राइवेट) लिमिटेड, दिल्ली के लेनदारों को धन का कितना प्रतिशत भुगतान किये जाने की सम्भावना है?

समवाय कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) सरकारी समापक ने 3,768 रु० केन्द्रीय सरकार के पास, जमा कर दिये हैं। नियम 291 (2) (1) के अन्तर्गत, सरकारी समापक के लिये, उस पर किये गये व्यय को काटने के पश्चात, प्रत्येक वर्ग के संग्रह पर केन्द्रीय सरकार का कमीशन, जमा करना अपेक्षित है।

(ख) दिल्ली का गोल्चा सिनेमा, 20,000 रु० प्रति सप्ताह के ठेके पर दिया गया हैं व बम्बई का मराठा मन्दिर सिनेमा, 25,101 रु० प्रति सप्ताह के ठेके पर दिया गया है। दिल्ली के गोल्चा सिनेमा से संलग्न, रेस्टोरेन्ट से 11,000 रु० प्रति मास के लगभग आमदनी प्राप्त होती है। केन्द्रीय तथा स्थानीय करों की ठीक-ठीक राशि सुलभ नहीं हैं।

(ग) सरकारी समापक द्वारा जमाकर्ताओं को देना, न्यायालय द्वारा दिये गये आदेशानुसार, परिसमापित कम्पनी की किताबों के पूर्ण हो जाने के पश्चात प्रारंभ होगा।

(घ) इस स्तर पर, देन का वह प्रतिशत, जिसके कम्पनी के जमाकर्ताओं को दिये जाने की आशा है, बताना संभव नहीं है।

गोल्चा प्रापर्टीज (प्राइवेट) लिमिटेड

4813. **श्री रामस्वरूप विद्यार्थी**: क्या **समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोल्चा प्रापट्रीज (प्राइवेट) लिमिटेड, दिल्ली ने किस तिथी को अपना कार्य आरम्भ किया, किस तिथि को उन्होंने कम्पनी का पंजीकरण कराया और किस तिथि से जनता से ऋण लेना आरम्भ किया;

(ख) उक्त फर्म ने अपना कार्य आरम्भ करने के समय कुल कितनी पूंजी विनियोजित की तथा इसने जनता, सरकार तथा अन्य साधनों से, अलग अलग, कितना ऋण लिया; और

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त कम्पनी के आरम्भ होने के उपरान्त गोल्चा प्रापर्टीज (प्राइवेट) लिमिटेड के भूतपूर्व मालिकों द्वारा अपने नाम पर अथवा अपने निकट सम्बन्धियों के नाम पर प्राप्त की गई अचल सम्पत्ति के कुल मूल्य का पता लगाने का है?

समवाय कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) मै० गोल्चा प्रापर्टीज (प्राइवेट) लिमिटेड 24-2-1948 को पंजीकृत हुई थी। कम्पनी अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार, एक प्राइवेट कम्पनी को पंजीकृत होने पर तुरंत ही व्यापार प्रारंभ करने का हक है।